

26/10
2020

पत्रावली के अंतर्गत इस्वीकृत वारीगत एवं वारी ले दिनांक 22/10/2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वारी गरीब लोगों के प्रकाश से नवीन वार प्रस्तुत करना चाहता है। अतः वारी को पुनः वार प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ वार विद्वा किए जाने की इजाजत दिये जाने का आदेश फार्मसे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र का गहरा से अध्ययन कर अज्ञात किया। वारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है एवं वारी का नवीन वार प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वार विद्वा किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। वारी का वार विद्वा में खारीज किया जाता है। पत्रावली के अंतर्गत शुभा, लोक नम्बर से कम है।

2017
001/40

(श्याम सुन्दर विनोद)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

